Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक 2468 / 141 दिनांक, गाजियाबाद 15 नवम्बर, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा अपर गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.14 हे0 एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे0 एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे0 संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति (प्रस्ताव सं0–**FP/UP/Road/39999/2019**)।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र सं0–848 / 11–सी– **FP/UP/Road/39999/2019**, दिनांक 25.10.2019।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुसार अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा सूची का सारांश ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित भी संलग्न नहीं है।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित कर सूची संलग्न है।
2	प्रस्ताव में ईको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं की गई है।	ईको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है।
3	प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट सत्यापित संलग्न है किन्तु टोपोशीट मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वन भूमि की टोपोशीट मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट सत्यापित फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑन लाइन अपलोड कर दी गई है।
4	वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु मुहर अंकित नहीं है।	वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र मुहर सहित संलग्न है।
5	प्रस्ताव में भाग–4 व भाग–5 संलग्न नहीं है। अतः भाग–4 व भाग–5 प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में भाग–4 व भाग–5 संलग्न है।
6	ऑन लाइन भाग–2 क्रमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑन लाइन भाग–2 क्रमांक–5 में डाटा सही कर फीड कर दिया गया है।
7	गजट नोटिफिकेश चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर सत्यापित संलग्न करें।	गजट नोटिफिकेश चिन्हित कर संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीया

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक : / दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद